फर्द अहकाम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (SDO) भीण्डर, उदयपुर

प्रार्थी : राजमल बनाम विपक्षी : राज्य सरकार जरिये तहसीलदार भीण्डर

किस्म मुकदमा – 131, 136 भू.राजस्व अधिनियम पत्रावली संख्या : 13/23

क्रमांक	कार्यवाही विवरण

दिनांक : 01.05.2025

पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता प्रार्थी उपस्थित। राजपेरोकार उपस्थित। प्रकरण मे बहस सुनी गई। अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा अपनी बहस में प्रार्थनापत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराया तथा प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया। राजपेरोकार द्वारा रिपोर्ट को ही जवाब माने जाने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। दस्तावेज का अध्ययन किया। अधिवक्ता प्रार्थी के कथनानुसार साबिक आराजी न. 27 श.न. 32/2. 42/3 किता 2 रकबा 03 बिघा 18 बिस्वा के नवीन सेटलमेंट के बाद नये आराजी न. 163, 164 किता 2 रकबा 0.4100 है. कायम किये गये जो प्रार्थीगण के पिता की मृत्यु के बाद प्रार्थीगण के नाम दर्ज हुई। यह कि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा साबिक रकबा 03 बिघा 18 बिस्वा के अनुसार नहीं कर 0.4100 है भूमि दर्ज कर दी गई जिसे प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा 0.4324 है. कम हो गया जबकि नवीन सेटलमेंट के बाद प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा 0.8424 है. दर्ज होना चाहिये था। अतः प्रार्थी द्वारा प्रार्थनाग्रस्त भूमि का रकबा शुद्ध किये जाने का निवेदन किया।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा रिपोर्ट पेश की जिसमें बताया कि राजस्व ग्राम भीण्डर की जमाबंदी सम्वत् 2068–71 में खाता सं. 840 में खसरा सं. 27 श.न. 32/2 रकबा 1–18 बीधा, 42/3 रकबा 2–0 बिघा कुल किता 2 रकबा 3–18 बिघा भूमि प्रार्थी के परिवार के सदस्यों के नाम होकर शामलाती खाता दर्ज रिकार्ड है। यह कि नवीन भू–प्रबन्धन रिकार्ड मे हाल जमाबंदी अनुसार प्रार्थीगण के नाम जमाबंदी सम्वत् 2078–81 में खाता सं. 1339 पर खसरा सं. 163 रकबा 0.30, 164 रकबा 0.11 किता 02 रकबा 0.41 है खातेदारी दर्ज की गई है। जो कि मूल साबिक खातेदारी भूमि से 2–00 बिघा 0.43 है. कम दर्ज है मिलान क्षै. देखने पर पता चलता है कि उक्त खसरा सं. 163, 164 साबिक खसरा संख्या 27–32/2 रकबा 1–18 बिघा से बनाये गये अर्थात 42/3 रकबा 2–00 बिघा भूमि का अंकन नवीन रिकार्ड में नहीं किया गया है। खसरा सं. 42 मूल नम्बर में कोई सरकारी खाता ना होकर सम्पूर्ण भूमि अलग–अलग टुकडों में अलग–अलग खातेदारों के नाम दर्ज रिकॉड है। साबिक व हाल नक्शों का मिलान करने पर पाया कि हाल खसरा सं. 163, 164 भी मिलान क्षै. अनुसार दर्ज साबिक खसरा 27–32/2 से ही बना होकर खसरा सं. 42/3 का भी हिस्सा शामिल करते हुए बनाया गया है। अर्थात मिलान क्षै. भी गलत दर्ज किया गया है। यह कि आस–पडौस के सभी खातेदारों की साबिक व हाल जमाबंदी व नक्शों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आप–पडौस के सभी खातेदारें को पुराने रिकार्ड अनुसार दर्ज ना किया जाकर एक–दुसरें की भूमि में दर्ज किया गया है। जिसे संशोधन किया जाना बहुत अधिक जटिल कार्य है। जिसे तहसील स्तर पर किया जाना सम्भव नहीं हो रहा है। तहसीलदार भीण्डर द्वारा बताया कि उक्त खातेदारों के रिकार्ड को संशोधन भू–प्रबन्धन विभाग की दल टीम से ही करवाया जाना आपेक्षित है जिससे खातेदारों को अपने पुराने रिकार्ड अनुसार विवाद रहित जमाबंदी व नक्शा प्राप्त हो सकें।

प्रकरण में तहसीलदार भीण्डर द्वारा अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट किया है कि साबिक व हाल नक्शों का मिलान करने पर पाया कि हाल खसरा सं. 163, 164 भी मिलान क्षै. अनुसार दर्ज साबिक खसरा 27–32/2 से ही बना होकर खसरा सं. 42/3 का भी हिस्सा शामिल करते हुए बनाया गया है। अर्थात मिलान क्षै. भी गलत दर्ज किया गया है। यह कि आस–पडौस के सभी खातेदारों की साबिक व हाल जमाबंदी व नक्शों का अवलोकन करने पर पाया गया कि आस–पडौस के सभी खातेदारों को पुराने रिकार्ड अनुसार दर्ज ना किया जाकर एक–दुसरें की भूमि में दर्ज किया गया है। अतः उक्त प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं हैं। धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत लिपिकीय त्रुटि व तरनीम को सुधारा जाता हैं। अतः प्रकरण धारा 131, 136 भू राजस्व अधिनियम के तहत पोषणीय नहीं [illegible] के अधिकार को सुरक्षित रखते हुये प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 131, 136 भू–राजस्व [illegible] का अस्वीकार योग्य पाया जाता हैं।

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramesh Chandra Bahediya

Date: 2025.07.29 16:17:20 IST

Reason: SelfAttested

आदेश : :

परिणामस्वरूप प्रार्थी का प्रार्थना[illegible] 131, 136 भू. राजस्व अधिनियम का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार [illegible]र नम्बर से कम हो । निर्णय खुले ईजलास सुनाया गया।